



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022026-269898
CG-DL-E-06022026-269898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 584]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 614(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3क के उप-नियम (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए तीन शिकायत अपीलीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 27 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 442(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

(क) उक्त अधिसूचना में, तालिका में, शिकायत अपीलीय समिति संख्या 1 के लिए, क्रम संख्या (2) और (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“(2)”	श्री आशुतोष शुक्ला	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो;
(3)	श्री इंदर पाल सिंह सेठी	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।”।

(ख) उक्त अधिसूचना में, तालिका में, शिकायत अपीलीय समिति संख्या 2 के लिए, क्रम संख्या (2) और (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“(2)”	कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता (सेवा निवृत्त)	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो;
(3)	सुश्री अल्का मिश्रा	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।”।

(ग) उक्त अधिसूचना में, तालिका में, शिकायत अपीलीय समिति संख्या 3 के लिए, क्रम संख्या (1), (2) और (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

3		
“(1)”	श्री सुदीप श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अध्यक्ष पदेन,
(2)	श्री सुनील सोनी	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो;
(3)	श्री सुरेश चंद्र	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।”।

[ई.फा. सं. 2(17)/2022-साइबरलॉज]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, तारीख 27 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 442(अ) के जरिए प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 614(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rules (1) and (2) of rule 3A of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby appoints the following persons as chairperson and members to the three Grievance Appellate Committees for a period mentioned against their name and for this purpose make the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology notification number S.O.442(E), dated 27th January, 2023.

(a) In the said notification, in the Table, for the Grievance Appellate Committee no.1, for serial numbers (2) and (3) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: —

“(2)”	Shri Ashutosh Shukla	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier;
(3)	Shri Inder Pal Singh Sethi	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.”.

(b) In the said notification, in the Table, for the Grievance Appellate Committee no.2, for serial numbers (2) and (3) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: —

“(2)”	Commodore Sunil Kumar Gupta (Retired)	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier;
(3)	Ms Alka Misra	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.”.

(c) In the said notification, in the Table, for the Grievance Appellate Committee no.3, for serial numbers (1), (2) and (3) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: —

3		
“(1)”	Shri Sudeep Shrivastava, Joint Secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology	Chairperson <i>ex officio</i> ;
(2)	Shri Sunil Soni	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier;
(3)	Shri Suresh Chandra	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.”.

[e F. No. 2(17)/2022-Cyberlaws]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O.442(E), dated 27th January, 2023.